[श्री राम विलास पासवान]

जीवन के अंतिम चरण में हैं और अपनी पैंशन के लिए विभिन्न विभागों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, जहां उन्हें दो टूक जवाब देकर टाल दिया जाता है। उनका पैसा एवं समय व्यर्थ में नष्ट होता है। यह कार्य स्वयं सरकार का है कि ऐसे देशभक्तों को अधिक से अधिक सुविधायों प्राप्त कराये। बिहार के स्वतन्त्रता सेनानियों को फार्म भरने से लेकर पैंशन लेने तक घूस देना पड़ता है अन्यथा उनके पैंशन को रोक दिया जाता है। गरीब हरिजन स्वतन्त्रता सेनानी तो पैसा नहीं देने के कारण काफी संख्या में आवेदन देने से वंचित रह गए हैं। मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण है, जिनके आवेदन पत्र गृह मंत्रालय में लंबित पड़े हैं और उन पर अमल नहीं हो पाया है। कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन रोक दी गई थी। उनकी फिर से देने में भी देर हो रही है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसे बहुत से उदाहरण है।

अत: सरकार से मांग हैं कि सरकार ऐसा आदेश दे, जिससे स्वतन्त्रता सेनानियों को मिलने वाली सुविधा प्राप्त करने में दिक्कत नहीं हो।

(ix) INADEQUATE SUPPLY OF WHEAT TO RAJASTHAN THROUGH THE PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। राज्य में उक्त प्रणाली के अंतर्गत शक्कर और गेहूं मिलता है और दूसरा कोई जीवनोपयोगी सामान नहीं मिलता।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के गेहूं के कोटा को जो प्रति माह 40 हजार मीट्रिक टन मिलता था, को 6 हजार मीट्रिक टन के घटाने से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दुकानों में गेहूं मिलना करीब बन्द हो गया है, जिसके कारण जनता को खुले बाजार में 180 से 200 रु० प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं क्रय करना पड़ रहा है, जिसके कारण जनता में असंतोष है।

राज्य के 33305 गांवों में से 19000 गांवों में अकाल है। जिन ग्रामों में अकाल राहत कार्य चलते हैं, वहां सस्ते अनाज की दुकानें न होने से उन मजदूरों को खुले बाजार में बड़े मंहगे भाव से अनाज खरीदना पड़ रहा है। वे खरीदने की स्थिति में नहीं है। अत: उनमें भी तीव्र असंतोष है।

यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का है।

अत: केन्द्र सरकार से मांग है कि राज्य की सूखे की स्थिति को देखते हुए और तीव्र मंहगाई को देखते हुए राज्य में सस्ते अनाज की दुकानें सभी शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की आवश्यकता के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह 8 किलो गेहूं मिले को आधार रखते हुए खोली जावें और उसके अनुसार ही केन्द्र द्वारा राज्य को गेहूं का कोटा प्रतिमाह निर्धारित किया जाए।

(x) REGISTERATION OF SMALL SCALE INDUSTRIES MANUFACTURING INSECTICIDES

DR. A. KALANIDHI (Madras Central) : I wish to bring to the notice of this hon. House and government the following urgent matter under Rule 377 for immediate a tion.

The Insecticides Act was promulgated in 1971 with the main objective of preventing the risk to human beings and animals.